तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या ता... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
13.3.15	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० हैं। प्रार्थना पत्र O.7 R.11 C.P.C. पर बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी नं. 1 का कथन है, कि प्रार्थी के द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया हुआ है, और न ही उक्त उनवानी वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थी द्वारा काऊँटर क्लेम भी पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र O.7 R.11 C.P.C. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी भीमसिंह का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (भीमसिंह) का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी (भीमसिंह) काबिज काश्त है। अप्रार्थीया द्वारा मदाखलत मजाहमत की जा रही है, इस कारण R.T. Act 212 के तहत प्रा० पत्र पेश किया गया है। दौराने बहस इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है, कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 के क्रम में कोई वाद दायर नहीं किया गया है, और न ही अप्रार्थीगण के वाद में प्रतिवादपत्र ही पेश किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रा० पत्र O.7 R.11 C.P.C. पर बहस के बाद पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन :-क्रमशः:-	

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया। प्रकरण में यह तथ्य है, कि प्रार्थी भीमसिंह का कोई वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थी संतोषबाई के वाद में काउंटर-क्लेम ही पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी भीमसिंह की ओर से यह प्रार्थना पत्र U.S. 212 R.T. Act निरालम्ब पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अनुतोष में दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, किन्तु वादी द्वारा कोई वाद पेश ही नहीं किया गया है। इस प्रकार वाद या वाद से संबंध काउंटर क्लेम की कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने से प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा 212 (1) (2) (3) की क्रियान्विती को परिपूर्ण नहीं करता इस धारा विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन के उपरान्त प्रा० पत्र O.7.R.11 स्वीकार किया जाकर प्रा० पत्र धारा 212 R.T. Act इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फाइल फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि. 13.3.15 को सरे इजलास सुनाया। (S.D. मीणा) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	